

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र० क्र० ~~अपेक्ष~~ पुर्नस्थापन/रायसेन/भू-रा०/2018/1085  
PBR

सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० कमल सिंह मैना  
व अन्य दो

निवासी ग्राम मेढ़की, तहसील व  
जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

108

श्री 2 जनी 25<sup>वा</sup> 6/2/18

प्रस्तुत! प्रारम्भिक चर्चा हेतु  
दिनांक 22-2-18 नियत।


— आवेदकगण

विरुद्ध

श्रीमती काशीबाई व अन्य दो  
निवासी ग्राम खेजड़ा, तहसील  
व जिला विदिशा मध्यप्रदेश

— अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर  
6/2/18

  
6/2/18

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा-35(3) म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है कि-

1-यह कि, प्रकरण क्रमांक पीवीआर/निगरानी/रायसेन/भू-रा०/2017/4165, दिनांक 05.12.2017 को नियत था, परन्तु आवेदक अभिभाषक के यहां गमीं हो जाने के कारण वह उक्त दिनांक को रायसेन से आने वाले थे जो उपस्थित नहीं हो सके। जिस कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त हो गया।

2- यह कि, उक्त दिनांक में जो स्थानीय अभिभाषक नियुक्त किये थे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण वह दिनांक 05.12.2017 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। जब आवेदक अभिभाषक को ज्ञात हुआ कि प्रकरण अदम



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/पुनर्स्थापन/राजमठ/2018/1085

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-2018	<p>आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें पुनर्स्थापन आवेदन पत्र पर सुना गया । पुनर्स्थापन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है । मूल प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/4165 पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाये । पुनर्विलोकन प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।</p>	<p>अध्यक्ष</p>